



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 14 जुलाई, 2025

आषाढ़ 23, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

संख्या 1/1024096-2025

लखनऊ, 14 जुलाई, 2025

अधिसूचना

प0आ0-121

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) की धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने-अपने अधिकारिता के भीतर प्रयोग किये जाने योग्य होगी।

आज्ञा से,
माला श्रीवास्तव,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. I/ 1024096–2025, dated July 14, 2025 :

No. I/ 1024096–2025

Dated Lucknow, July 14, 2025

IN exercise of the powers under sub-section (2) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (Act no. 67 of 1957), the Governor is pleased to direct that the power exercisable by the State Government under sub-section (5) of Section 21 of the aforesaid Act shall be exercisable by all District Magistrates of the State of Uttar Pradesh within their respective Jurisdiction.

By order,
MALA SRIVASTAVA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 110 राजपत्र-2025-(301)-599 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० भूतत्व एवं खनिकर्म-2025-(302)-1200 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।